अध्याय 10: निष्कर्ष

इं.आ.यो. भारत सरकार (भा.स.) की एक मुख्य योजना है जिसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहें बेघर ग.रे.नी. के परिवारों को घर प्रदान कराने हेतु प्राथमिक रूप से निर्दिष्ट किया गया है। इं.आ.यो. को ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) तथा जिला परिषदों (जि.प.)/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ.) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। ग.रे.नी. सूची से ग्रा.पं. द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाना था तथा लाभार्थियों द्वारा स्वयं मकानों का निर्माण/सुधार किया जाना था। हमने इं.आ.यो. के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियां तथा चूकें पायी थीं।

इं.आ.यो. के सफल कार्यान्वयन हेतु लाभार्थियों का पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है। तथापि, हर जगह निर्धारित मानकों के अनुसार चयन प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया था। 14 राज्यों में मकानों की कमी का आकलन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य लाभार्थियों का चयन किया गया था। कुछ राज्यों में, सूची को तैयार न किए जाने के कारण लाभार्थियों का चयन भी एक से अधिक बार हुआ था जिसका परिणाम अनियमित वित्तीय सहायता के रूप में हुआ था। योजना के मानकों के उल्लंघन में, छः राज्यों में परिवार के महिला सदस्य के नाम पर रिहायशी इकाई के आवंटन को प्राथमिकता नहीं दी गयी थी।

इं.आ.यो. के कार्यान्वयन के दौरान मकानों के समय पर पूरा होने तथा गुणवत्ता आधार को भी अनदेखा किया गया था। निर्माण गतिविधि में विवेकपूर्ण ढ़ंग से कार्य करने में प्राधिकारी विफल हुए तथा योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में पांच राज्यों/सं.शा.क्षे. के आठ चयनित जिलों के 12 ब्लाकों में विभागीय या ठेकेदारों द्वारा ₹7.88 करोड़ की लागत पर मकानों का निर्माण हुआ था। नौ राज्यों के 48 चयनित जिलों में दो वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी 61,293 मकान अपूर्ण रहे। निर्मित मकानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित गुणवत्ता जांच/तकनीकी पर्यवेक्षण का भारी अभाव था। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा 18 राज्यों/सं.शा.क्षे. में सुधार करने में या मजबूत, कम लागत वाले तथा आपदा प्रतिरोधी मकानों का निर्माण करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

अधिकतर राज्यों में, परिकल्पित रूप से अन्य योजनाओं के साथ गैर-अभिसरण के कारण इं.आ.यो लाभार्थी स्वच्छ पेयजल, मुफ्त बिजली कनेक्शन तथा स्वच्छ शौचालय से वंचित रह गए थे।

आवाससाफ्ट को पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका था जिसका परिणाम मंत्रालय द्वारा खराब मॉनीटरिंग के रूप में हुआ। खराब आंतरिक नियंत्रण तथा पुर्ननिरीक्षण की कमी ने मॉ.सू.प्र. में डॉटा की विश्वसनीयता तथा सत्यता को बहुत घटा दिया था।

रा.स्त.मॉ. द्वारा नियमित मॉनीटरिंग के गैर आवर्तन तथा उनकी रिपोर्टों पर अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है। 22 राज्यों/सं.शा.क्षे. में सामाजिक लेखापरीक्षा की शुरूआत अभी की जानी थी। 19 राज्यों/सं.शा.क्षे. में इं.आ.यो. के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययनों को संचालित नहीं किया गया था।

मंत्रालय द्वारा निधियों के अनुमोदन तथा निधियों को जारी किए जाने की प्रणाली में कमियां थीं। लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण पाए जहां मंत्रालय ने अपनी स्वयं की शर्तों के उल्लंघन में अनुदान जारी कर दिए थे। राज्य के अंश के कम एवं विलंबित रूप से जारी किए जाने, निधियों का दुर्विनियोजन तथा विपथन जिसे कि 2003 में योजना की पिछली लेखापरीक्षा में पाया गया था, वह इं.आ.यो. के कार्यान्वयन में भी मौजूद थे।

ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वासभूमि स्थल प्रदान करने की योजना, जिनके पास न तो कृषि भूमि थी न ही मकान के लिए जगह थी, अगस्त 2009 में प्रारम्भ की गई थी। योजना का 17 राज्यों/सं.शा.क्षे. में कार्यान्वयन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा राज्यों को वासभूमि स्थल योजना के अंतर्गत अतिरिक्त घरों के निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां तो अप्रयुक्त रही थी उन्हें सामान्य इं.आ.यो. के अंतर्गत लाभार्थियों के घरों के निर्माण के प्रति विपथित कर दिया गया था।

योजना में बहुत सी कमियां अभी भी मौजूद हैं तथा इसकी जानकारी मंत्रालय को म.नि.ले.प. द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से दी गयी थीं। हालांकि, मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई, इन कमियों का निदान करने में अपर्याप्त थी।

2008-13 के दौरान ₹60,239 करोड़ के व्यय के बावजूद इं.आ.यो. देश में मकानों की कमी के अंतर को उल्लेखनीय रूप से कम नहीं कर सका है चूंकि XIवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में घरों की कमी की समस्या का आंकलन अगली पंचवर्षीय योजना की शुरूआत के समय भी लगभग समान परिमाण तक ही बना रहा।

जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, मंत्रालय को निदानात्मक कदम उठाने की और गड़बड़ियों को सुधारने की आवश्यकता है ताकि योजना के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।

(सतीश लूम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली
दिनांक : 2 दिसम्बर 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 2 दिसम्बर 2014